

संख्या: 1364/X-4-18/1(224)/2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्द्रा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन प्रमुख वन संरक्षक ग्राम कुरुक्षेत्र अधिकारी
वन संरक्षक ग्राम कुरुक्षेत्र अधिकारी देहरादून
फॉर्म सं. 4510
प्रबन्धनी 47 (ज.)
दिनांक 28/12/19

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018


विषय: जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाटी-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुक्षेत्र से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हेतु 0.81 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-807/1जी-FP/UK/ROAD/18867/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाटी-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुक्षेत्र से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हेतु 0.81 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्द्धमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तर्दध निकाय के लेखा सं0-एस0वी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आव्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

 (सुभाष चन्द्र)
 अपर सचिव।

संख्या: 1 / X-4-18 / 1(224) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, चमोली।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
 (आरओकेओ तोमर)
 संयुक्त सचिव।

प्रमाण, जनपद-योगी,
 कृपया विषयक प्रक्रिया में
 छां काढ़ करें।

प्रधान वन अधिकारी, गोपेश्वर
 वन दिवाली, 22-02-2019